	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण
	पंचम विधान सभा दवादश सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

(अग्रहायण 24, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में श्री कमलेश्वर पटेल जी, विधायक मध्यप्रदेश विधान सभा उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ-गृह में आये ।)

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री द्वारा टिप्पणी किये जाने पर व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय, के निर्देश पर श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया ।

3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

4. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अतंर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

5. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये । तारांकित प्रश्न संख्या 05 के लिये श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारे जाने पर श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि उनका दल श्री अमरजीत भगत, खाद्‌य मंत्री से कोई प्रश्न नहीं करेगा । इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी ।

6. व्यवस्था

माननीय खाद्‌यमंत्री जी द्‌वारा प्रस्तुत शब्दों को मैंने विलोपित कर दिया है और माननीय मंत्री जी ने खेद भी व्यक्त कर लिया है । उसके बाद अब सदन में उपस्थित रहकर प्रश्न न करना उचित संसदीय परम्परा नहीं है । अत: मेरा सदस्यों से अनुरोध हे कि प्रश्न पूछकर उन्हें जो संसदीय अधिकार प्राप्त हैं, उसका जनहित में उपयोग करें।

7. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 09 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री आशीष कुमार छाबड़ा, श्री धर्मजीत सिंह अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 16.08.2017 को जिला-दुर्ग, विकासखण्ड-धमधा के ग्राम-राजपुर की शगुन गौशाला तथा दिनांक 18.08.2017 को जिला-बेमेतरा, विकासखण्ड-साजा के ग्राम-गोडमर्रा की फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो की मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-22 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-21 (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक),

(4) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18,

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-02/2011/32, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021, तथा

(6) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021),

पटल पर रखे।

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि बुधवार दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को सायं 6.30 बजे से सन् टू हयूमेन फाउंडेशन द्वारा विधान सभा सचिवालय स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में माननीय सदस्यों के लिए सम्यक आहार, व्यायाम एवं ध्यान के प्रयोग से जीवन में रूपान्तरण हेतु 1 घण्टे का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित है । कार्यक्रम पश्चात् 6 रसों से परिपूर्ण स्वादिष्ट उर्जावान स्वास्थ्यवर्धक स्वल्पाहार की व्यवस्था है । उक्त कार्यक्रम एवं स्वल्पाहार में सभी माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण एवं विभागीय अधिकारी सादर आमंत्रित हैं । कृपया उपस्थित होकर लाभाविन्त हो ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

10. स्थगन प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रदेश में रेडी टू ईट का कार्य स्व-सहायता समूह के स्थान पर निजी फर्मों को दिये जाने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की ओर से सर्वप्रथम प्राप्त होने से सूचना पढ़ी गई ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने ग्राहय कर चर्चा हेतु सहमति दी ।

माननीय उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 3.00 बजे का समय निर्धारित किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग की तथा नारे लगाये गये ।)

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य की सूचना प्रस्तुत नहीं हुई ।

(2) श्री अमितेष शुक्ल, सदस्य ने गरियाबंद जिले में हरित क्रांति योजनांतर्गत मिनी राईस मिल एवं कृषि यंत्र की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ-गृह में आये ।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

12. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भ गृह में रहकर नारे लगाये गये ।)

13. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री कुलदीप जुनेजा

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 01)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
2. (क्रमांक - 03)	श्री धरमलाल कौशिक	45 मिनट
3. (क्रमांक - 04)	श्री मोहन मरकाम	15 मिनट
4. (क्रमांक - 05)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
5. (क्रमांक - 04)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. प्रीतम राम, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति ने समिति के पंचम, षष्ठम, सप्तम्, अष्ठम्, नवम्, दशम्, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

(4) श्री दलेश्वर साहू, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन
प्रस्तुत किये।

15. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अतंर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही 12.40 बजे स्थगित की जाकर 01.29 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल में आपने रेडी टू ईट विषय से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचना को लेने का आग्रह किया जिस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आसंदी द्वारा पढ़ी गई । संसदीय कार्यमंत्री ने यह हस्तक्षेप किया कि तत्काल चर्चा कराई जाए । लेकिन

चर्चा का समय नियत करने का अधिकार आसंदी को है । तद्नुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु नियम के अनुसार 3.00 बजे का समय निर्धारित किय गया है ।

16. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों एवं जनता कांग्रेस (जे) के सदस्य श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा तत्काल चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से दिन भर के लिये बहिर्गमन किया गया ।

17. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वीतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सौ नवासी रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री मोहन मरकाम, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री रामकुमार यादव, प्रकाश शक्राजीत नायक

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

19. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आसंदी द्वारा 3.00 बजे का समय निर्धारित किया गया था, किंतु स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । अत: मैं कार्यसूची का अगला विषय लेता हूं ।

20. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

(4) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13, सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

21. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 14 सन् 2021) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुये चर्चा, विचार एवं पारण हेतु पंद्रह मिनट का समय निर्धारित किया है ।

(अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई ।)

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

(6) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

(9) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

23. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार-

(1) माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019

(2) माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा श्री कुंभनदास आड़िया एवं श्री अंबरीश कुमार आड़िया के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020, पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

24. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

25. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज सायं 6.30 बजे से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागृह में आयोजित कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है ।

26. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।)

अपराह्न 3.26 बजे, विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा